

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3
संख्या- 452/11-3-2019-103/2017
लखनऊ:दिनांक: 09 मार्च, 2019

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-624/11-3-2018-103/2017 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के क्रम में आमोद एवं पणकर निरीक्षकों को वाणिज्य कर विभाग में मृत स्वर्ग के रूप में निरीक्षक स्वर्ग का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 3(एच) के साथ सपठित धारा 4(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतनमान 9300-34800 ग्रेडपे रू० 4200/- तथा पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक लेवल 6 के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० में निरीक्षक के पद पर संविलियन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आलोक सिन्हा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-452(1)/11-3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद।
9. सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश।
11. संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग के समस्त अनुभाग।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को दो सत्यापित प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर अधिसूचना की 500 प्रतियाँ संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस०पी० अशुक्ल)
संयुक्त सचिव।